



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर


एफ29(26)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/जोधपुर/09/15689

दिनांक 21/2/11

परिपत्र


प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ6(डीएमआर/एसओ/2008/12921, दिनांक 24.10.2008 में यह उल्लेखित किया गया था कि "दिनांक 30.9.2008 को मेहरानगढ़ दुर्ग दुखातिका, जोधपुर में मारे गये अथवा स्थाई रूप से निःशक्त व्यक्तियों के आश्रित माता-पिता सहित परिजनों (जो राजस्थान के मूल निवासी हैं) के लिये वर्तमान में राज्य सरकार की बीपीएल परिवारों हेतु मेडिकलेम बीमा योजना/प्रावधान को लागू किया जावेगा।"

अतः हादसे में मारे गये अथवा स्थाई रूप से निःशक्त व्यक्तियों के आश्रित माता-पिता सहित परिजनों (जो राजस्थान के मूल निवासी हैं) को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावाई जायेगी।

  
(बी. एन. शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. मिशन निदेशक, एनआरएचएम/परियोजना निदेशक, आरएचएसडीपी।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. निदेशक(जनस्वास्थ्य/पक/एड्स/आईईसी)/परियोजनानिदेशक (एमएमजेआरके/एनआरएचएम)
11. उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप -2 एवं 5) शासन सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
13. समस्त अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय संघ, राजस्थान।
14. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ~~अपने जिले के समस्त PHC/CHC को अवगत कराने का श्रम करें।~~
16. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/जिला/सेटेलाईट/उप खण्ड चिकित्सालय।
17. समस्त ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
18. समस्त प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
19. समस्त प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
20. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, एनआरएचएम।
21. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित को ई-मेल करवाने का श्रम करें।

  
मिशन निदेशक  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन